उनवानी प्रकरण:– रामस्वरूप बनाम हरिमोहन वगै0

मु.न.:– 26/2024 कि0मु0:– प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	16.07.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 976/210 रकबा 03–06 बीघा भूमि में प्रार्थी के हिस्से 1/2 भाग की कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी उक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्त कार नहीं है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि नहीं होना अंकित है। जमाबन्दी सम्बत् 2076–2079 खाता संख्या 390 में प्रतिवादी हरिमोहन पुत्र धन्ना एक मात्र खातेदार काश्त घोषित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील वादपत्र के साथ संलग्न हों । Sd/- उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	